

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-30/2018/656/दो-2-2018-28/2(18)/2017
लखनऊ: दिनांक: 07 मार्च, 2018
आदेश

श्री बाबूराम-1, पी0सी0एस0-1997 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-70947 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री बाबूराम-1, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मितान डायरी-439/94412/105326, दिनांक 22-01-2018 के अनुसार वर्ष 2016-2017 तक कुल जमा धनराशि रू0-22,87,689/- (रू0-बाईस लाख सत्तासी हजार छः सौ नवासी मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-20,58,920.01/- अर्थात् रू0-20,58,920/- (रूपये बीस लाख अठठावन हजार नौ सौ बीस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री बाबूराम-1, के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, बहराइच को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री बाबूराम-1, पी0सी0एस0-1997, तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी, बहराइच सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
- 4- श्री बाबूराम-1,, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त, पता-मोहल्ल-2 सुरेन्द्रनगर, सेक्टर-बी, निकट-जनकल्याण अस्पताल एवं लेबर अड्डा, लखनऊ-227105

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।